

उत्तर : मांगीलाल खनाम वीरेंद्रसिंह
प्र.सं. : 93/2022
धारा - 251 में शंटे 0 एम्प्ट

15/10
2024

पत्रावली पेश हुई। अधिष्ठापक संघ द्वारा
न्यायिक कार्य स्थापित कराने से।
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
18/10/24 को पेश की जावे।
B.O.
Jhij
सिंह

18/10
2024

पत्रावली पेश हुई। P.O. साक्षु राजकार्य
में अस्त-धौने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
23/10/24 को पेश की जावे।
B.O.
Jhij
सिंह

23/10
2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारण उपस्थित परिष्कार
सरकार द्वारा जवाब व मौला रिपोर्ट प्रस्तुत करने का
अवसर प्राप्त हो दिया जाता है। क्वीर उजर्षी द्वारा जवाब
दिले अवसर प्राप्त गया। उजर्षी का जवाब प्रस्तुत करने के
पूर्व में पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं। किन्तु जवाब उजर्षी
। अतः उजर्षी सं. 01 का जवाब बस्ती पत्तर पर बन्द किया
जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब व मौला रिपोर्ट परिष्कार
सरकार दिनांक 20/11/2024 को पेश है।
SD-0

20/11
2024

पत्रावली पेश हुई। अधिष्ठापक संघ द्वारा
न्यायिक कार्य स्थापित कराने से।
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
22/11/24 को पेश की जावे।
B.O.
Jhij
सिंह

27/11
2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारण उपस्थित। तकील प्राधी
द्वारा पत्रावली में Not-Process कर कोई अक्रिम कार्यवाही
नहीं चाहने का निर्देन किया। पत्रावली का अतलीकन किया
गया। उभय पक्ष को सुनाया। तकील प्राधी द्वारा पत्रावली
में Not-Process कर कोई अक्रिम कार्यवाही नहीं चाहने से।
SD-0

Form No. III

App-Z
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

सांगीलाल

बनाम

वीरेन्द्र सिंह

किस्म मुकदमा

पुर्ण पत्र

नं०

93

सन्

2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>पत्रावली इसी स्तर पर विज्ञे में खारिज की जाती है। पत्रावली फौजदारी कुमार लेकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफतर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	